

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 873/2025

अपीलाण्ट :-

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

1. चुतराराम पुत्र पोकरराम
2. सुशीयादेवी पत्नी ओमाराम
जाति-माली, निवासी- माडपुरा
सानी (ढूंढा कवास) तहसील
बायतू जिला बाडमेर।

1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार,
बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 13.09.2021 को जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 04/2021 अनवान चुतराराम वगैराह बनाम तहसीलदार बाडमेर में पारित किया गया।

उपस्थिति

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक: 22-07-2025

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह द्वितीय राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 04/2021 अनवान चुतराराम वगैराह बनाम तहसीलदार बाडमेर में पारित आदेश दिनांक 13.09.2021 के विरुद्ध दिनांक 6.10.2021 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2021 पारित किया गया है, वो विधि के अनुकूल नहीं होने तथा नियमों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य हैं।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर ने अपीलार्थी की अपील को निर्णित करते हुए जिस तरह के निर्देश दिये हैं, वैसे निर्देश कानूनन नहीं दिये


संभागीय आयुक्त
जोधपुर



जा सकते हैं। तहसीलदार ने भी बिना विधिवत जाँच किये ही जल्दबाजी करते हुए एवं विवादग्रस्त भूमि पर मौके की स्थिति बाबत जाँच किये बिना ही जलदबाजी में फैसला कर दिया गया है। तहसीलदार ने जिस स्थान पर पहले से अस्पताल बना हुआ है, उसके बारे में कोई जाँच नहीं की है। जिस विवादग्रस्त भूमि बाबत अपीलान्ट के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है उससे 1/2 किलोमीटर दूर अस्पताल का निर्माण पहले से ही करवाया जा चुका है जो नक्शे में बिना तरमीम के ही करवा दिया गया परन्तु इसके बाद जानबूझ कर अपीलान्ट की कब्जे वाली भूमि पर अस्पताल को आवंटनशुदा भूमि की तरमीम वर्ष 2019 में की गई जबकि अस्पताल हेतु भूमि आवंटन वर्षों पूर्व किया गया था एवं उस स्थान पर अस्पताल का निर्माण भी कर दिया गया, उक्त अस्पताल चालू है। इसके सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अस्पताल के छायाचित्र भी जिला कलेक्टर बाड़मेर के समक्ष पेश किये गये थे जिन्हें देखा तक नहीं गया।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट्स का रहवासीय मकान वर्षों पूर्व से बना हुआ है जिसमें बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। मूल रूप से उक्त भूमि पहले अपीलान्ट्स के दादा खेता की खातेदारी में थी परन्तु बाद में बिना किसी कारण एफसीआई के नाम दर्ज कर दी गई जबकि खातेदार को कोई मुआवजा तक नहीं दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के साथ दोनों बार नाइंसाफी हुई है। स्वयं ग्राम पंचायत ने दो बार यह प्रस्ताव पारित किया है कि अस्पताल का निर्माण विवादग्रस्त भूमि से आधा किलोमीटर दूर करवाया जा चुका है एवं विवादग्रस्त भूमि अस्पताल की भूमि नहीं है। इस पर आबादी बस चुकी है, इस कारण इसे आबादी में परिवर्तित किया जावे परन्तु उन प्रस्तावों पर आज दिन तक कोई विचार नहीं किया गया एवं तहसीलदार ने जल्दबाजी में कार्यवाही करते हुए बिना जाँच के ही फैसला कर दिया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी के पास अन्य कोई रहवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा अपीलार्थी उक्त भूमि का नियमन करवाने का मुश्तहक है जिसके लिये वह राशि राज्य सरकार में जमा करवाने हेतु तैयार है। इसके अतिरिक्त धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही में केवल बेदखली का ही विकल्प तहसीलदार के पास नहीं रहता है बल्कि नियमन हेतु भी कार्यवाही की जा सकती है। अतः अपीलान्ट की अपील उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकार की जावे तथा जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.9.2021 एवं तहसीलदार, बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.9.2020 को निरस्त किये जाये तथा उक्त भूमि का अपीलार्थी के नाम से नियमन किया जाये।

4. प्रत्युत्तर में रेस्पोंडेन्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.9.2021 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.9.2020 पूर्ण रूप से विधि के अनुकूल है एवं उचित पारित किये गये हैं जो यथावत रखे जाने योग्य हैं क्योंकि



पटवारी हल्का कवास के द्वारा तहसीलदार बाडमेर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि ग्राम दूण्डा के ख0सं0 1016/421 रकबा 02.00 बीघा गैर मुमकिन औषधालय की भूमि में से 00.06 बीघा भूमि पर अपीलान्ट तारबन्दी व पक्का कमरा, ख0सं0 420 रकबा 01.06 बीघा भूमि गैर मुमकिन बेरी भूमि में से 00.09 बीघा भूमि पर तारबन्दी व चारे की टाल तथा ख0सं0 820/421 रकबा 23.07 बीघा बारानी दोयम भूमि में से 00.01 बीघा भूमि पर कब्जा करते हुए तारबन्दी कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त प्रकरण पेश होने पर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया परन्तु दौराने पेशी अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर एवं जवाब पेश नहीं करने पर तहसीलदार बाडमेर के द्वारा उन्हें अतिक्रमी घोषित करते हुए कब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया है। जिला कलेक्टर, बाडमेर के समक्ष अपील पेश होने पर उक्त भूमि पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का वैधानिक अधिकार नहीं होने तथा स्वामित्व सम्बन्धी साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये जाने के आधार पर अपील को खारिज किया गया है जो यथावत बहाल रखे जाये एवं अपीलान्ट की अपील खारिज की जाये।

5. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अपील पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का बगौर अवलोकन किया गया।

जैर अपील में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने मुख्य कथन यह प्रस्तुत किया है कि अपीलान्ट की कब्जे वाली भूमि पर अस्पताल को आवंटन शुदा भूमि की तरमीम वर्ष 2019 में की गई जबकि अस्पताल हेतु भूमि आवंटन वर्षों पूर्व किया गया था एवं उस स्थान पर अस्पताल का निर्माण भी कर दिया गया, उक्त अस्पताल वर्तमान में चालू है। विवादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट्स का रहवासीय मकान वर्षों पूर्व से बना हुआ है जिसमें बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। मूल रूप से उक्त भूमि पहले अपीलान्ट्स के दादा खेता की खातेदारी में थी परन्तु बाद में बिना किसी कारण के एफसीआई के नाम दर्ज कर दी गई जबकि खातेदार को कोई मुआवजा तक नहीं दिया गया। विवादग्रस्त भूमि अस्पताल की भूमि नहीं है।

रेस्पोंडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य कथन यह प्रस्तुत किया कि पटवारी हल्का कवास ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बाडमेर को रिपोर्ट दिनांक 17.03.2020 प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम दूण्डा के ख0सं0 1016/421 रकबा 02.00 बीघा गैर मुमकिन औषधालय की भूमि में से 00.06 बीघा भूमि पर अपीलान्ट तारबन्दी व पक्का कमरा, ख0सं0 420 रकबा 01.06 बीघा भूमि गैर मुमकिन बेरी भूमि में से 0.09 बीघा भूमि पर तारबन्दी व चारे की टाल तथा ख0सं0 820/421 रकबा 23.07 बीघा बारानी दोयम भूमि में से 00.01 बीघा भूमि पर कब्जा करते हुए तारबन्दी कर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ने अपीलान्ट चुतराराम को विवादग्रस्त भूमि से बेखल करने का आदेश दिनांक 07.09.2020 को पारित किया गया तथा न्यायालय जिला



कलेक्टर, बाड़मेर ने अपने आदेश दिनांक 13.09.2021 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर के आदेश दिनांक 07.09.2020 को यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया गया।

बाद अवलोकन हमने यह पाया है कि पटवारी हल्का कवास की रिपोर्ट दिनांक 17.03.2020 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण का निर्णय दिनांक 07.09.2020 को पारित किया गया तथा अपीलार्थीगण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 1.60 का 50 गुणा रूपये 80/- जुर्माना आरोपित कर अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। अपीलान्टगण द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रथम अपील जिला कलेक्टर, बाड़मेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा प्रथम अपील का निर्णय दिनांक 13.09.2021 को पारित कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2020 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया गया।



जैर अपील में अपीलान्ट चुतराराम वगैरह ने विवादित भूमि पर 50-60 वर्षों से पुराना कब्जा एवं रहवास के साथ-साथ खसरा नंबर 1016/421 में गांव के 15-20 घरों की आबादी के रहने के कथन किया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा कब्जे के संबंध में कोई राजस्व रिकॉर्ड यथा दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई के लिये विधि के अनुसार पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 17.03.2020 के अनुसार सरकारी भूमि पर अपीलान्ट द्वारा ग्राम दूण्डा के ख0सं0 1016/421 रकबा 02.00 बीघा गैर मुमकिन औषधालय की भूमि में से 00.06 बीघा भूमि पर अपीलान्ट तारबन्दी व पक्का कमरा, ख0सं0 420 रकबा 01.06 बीघा भूमि गैर मुमकिन बेरी भूमि में से 0.09 बीघा भूमि पर तारबन्दी व चारे की टाल तथा ख0सं0 820/421 रकबा 23.07 बीघा बरानी दायम भूमि में से 00.01 बीघा भूमि पर कब्जा करते हुए तारबन्दी कर अतिक्रमण किया गया है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया जा कर जुर्माना अधिरोपित करने व बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर के राजस्व अपील संख्या 4/2021 अनवान चुतराराम वगैरह बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 13.09.2021 विधि के अनुरूप होने से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2021 में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर के राजस्व अपील संख्या 4/2021 अनवान चुतराराम वगैरह बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 13.09.2021 को यथावत रखा जाता है।

अधीनस्थ न्यायालयों का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये। यह निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-इजलास सुनाया गया।



(डॉ० प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर
जोधपुर